



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270230
CG-DL-E-17022026-270230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 818]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 818]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 858(अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) सपठित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2025 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, और इस संबंध में पूर्व में जारी दिनांक 06.01.2025 की अधिसूचना का.आ. 95(अ.) के अधिक्रमण में करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन जीएसटी महानिदेशालय आसूचना मुख्यालय (डीजीजीआई-मुख्यालय) के प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक (आसूचना) को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14ए(3) के उपर्युक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त रहेंगे।

[फा. सं. एन-24015/3/2024-कंप्यूटर सेल]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव (कंप्यूटर सेल)

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 858(E).— In pursuance of clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2025 and in supersession of earlier Notification S.O. 95(E) dated 06.01.2025 issued in this regard, the Central Government hereby designates the Principal Additional Director General /Additional Director General (Intelligence) of Directorate General of GST Intelligence Headquarters (DGGI-HQ), Central Board of Indirect Taxes and Customs, in Department of Revenue, Ministry of Finance, as the nodal officer for the purposes of the said rules in respect to section 14A(3) of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).

2. This Notification shall remain in force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. N-24015/3/2024-Computer Cell]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy. (Computer Cell)